फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

इन्द्राज आदि बनाम रामकुमार आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** प्रकरण संख्या 228 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
12.09.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा बालासर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 210 / 13 की कुल 13.9350 हैक्टेयर वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 12 / 10 / 2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) **सहायक कलक्टर एवं** **उपखण्ड अधिकारी** **नोहर (हनुमानगढ)**	
12/10/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब [illegible] पत्रावली दि० 15/12/23 को पेश हो	
15/2/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब .. [illegible] पत्रावली दि० 19/3/24 को पेश हो	
5/3/24	वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली [illegible] जावे। वादी ने निवेदन किया [illegible] राजीनामा हो [illegible] पत्र बही चलाना [illegible] कार्यवाही समाप्त करने के [illegible] के आधार खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्डाधिकारी (राजस्व)** **नोहर (हनुमानगढ)**	[illegible] आ.नि. इन्द्राज [illegible] (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:59 IST
Reason: SelfAttested